"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017—फाल्गुन 6, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2008/1-7. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) में, शब्द एवं चिन्ह "मीसा/डी. आई. आर. के अधीन निरुद्ध किये गये व्यक्ति" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "'लोकतंत्र सेनानी' कहलायेंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 5 में, उप-नियम (1) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 5000/-", "रुपये 10,000/-" एवं "रुपये 15,000/-" के स्थान पर, क्रमश: शब्द, अंक एवं चिन्ह "रुपये 8000/-", "रुपये 15,000/-" एवं "रुपये 25,000/-" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 15 में, अंक एवं शब्द "31 दिसम्बर, 2014" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "31 मार्च, 2017" प्रतिस्थापित किया जाये.

उपरोक्त नियम 2 (ग) एवं नियम 15 का संशोधन, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा नियम 5 (1) का संशोधन, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.